



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1284/UP/4/2023-APCR

दिनांक: 22/06/2023

श्री धवल जायसवाल
पुलिस अधीक्षक,
जिला कुशी नगर,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
रवींद्र नगर धौस,
कुशी नगर, उत्तर प्रदेश 274402
Email Id: spksn-up@nic.in
Tel. No: 9454400289

विषय: क्षेत्राधिकारी खड्डा (कुशीनगर) संदीप कुमार वर्मा (PPS) द्वारा मु० अ० सं० 112/2023 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 452, 352, 302, 397 आई पी सी 3 (2) (v), 3(1)द, 3 (1)ब SC/ST Act. 4/25 थाना रामकोला के विवेचक द्वारा शेष गिरफ्तार न हुए अभियुक्तों से धन उगाही कर बचाने के सम्बन्ध में श्रीमती राबड़ी देवी, का दिनांक 07.06.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती राबड़ी देवी से दिनांक 07/06/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)

अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती राबड़ी देवी
टेकुआटार डीह टोला
थाना रामकोला
जिला कुशी नगर,
उत्तर प्रदेश - 274305
Mobile No:9369716547